Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to introduce a short term pharmacy course for shopkeepers running retail medical stores-Laid

श्रीमती रमा देवी (शिवहर):हम सभी जानते है कि हम बीमार हो जाये तो समुचित दवाएं, दवा की मात्रा एंव समय के अंतराल को ध्यान में रखना पड़ता है । इस कार्य में फार्मासिस्ट वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है । डॉक्टर की अस्पष्ट लिखावट को समझना, रोगी को दवा के बारे में बताना, दवा का कैसे डोज लेना है और कितने समय के बाद लेना है इसकी जानकारी फार्मासिस्ट लोग रोगी को एवं रोगी के रिश्तेदार को देते है । इनकी संख्या बिहार में 25 हजार के लगभग है जो 24 घंटे एवं 7 दिन के आधार पर अपनी सेवा दे रहे है । फार्मासिस्ट व्यवस्था के अंतर्गत जो खुदरा दवा विक्रेता अंग्रेजों के समय में बनाये गये वह Drugs Act 1940 and Drugs Rules 1945 से नियंत्रित है । मुझे जानकारी मिली है कि रजिस्टर्ड केमिस्टो को केमिस्ट की दुकान चलाने हेतु फार्मेसी शिक्षा का प्रमाण पत्र होना आवश्यक कर दिया गया है । जिसके कारण फार्मासिस्ट की शिक्षा से वंचित लोग केमिस्ट की दुकान नही चला सकते है जबकि केमिस्ट दुकान का संचालन ड्रग लाईसेंस के आधार पर उनके परिवार द्वारा कई दशकों से किया जाता रहा है । मेरा मानना है कि राज्य सरकारों को रजिस्टर्ड केमिस्ट दुकानदारों को या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो मैट्रिक या उससे उपर की शिक्षा प्राप्त किये हों उन्हें अनुभव के आधार पर राज्य में फार्मेसी पढ़ाई के लिए चल रहे सरकारी एंव गैर सरकारी संस्थानों में एक Short term course कौशल विकास योजना या अन्य माध्यम से कराकर अपनी दुकान चलाने की अनुमती प्रदान की जानी चाहिए ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि केमिस्ट की दुकान संचालित करने के लिए उन केमिस्ट खुदरा विक्रेताओं को कुछ वर्षों की छूट दी जानी चाहिए तथा उन्हें

अनुभव के आधार पर एक Short term course कौशल विकास योजना या अन्य माध्यम से कराते हुये अपनी दुकान चलाने की अनुमती प्रदान की जाये ।